

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबरत, राजस्थान, जयपुर।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.), राजस्थान, जयपुर।

अति० मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज., जयपुर।

परियोजना निदेशक, राज. वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना-ग, राज., जयपुर।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण / एनटीएफपी, राज०, जयपुर।

मुख्य वन संरक्षक, जयपुर / जोधपुर / कोटा / बीकानेर / उदयपुर / अजमेर / भरतपुर।

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर / भरतपुर।

मुख्य वन संरक्षक, वन वर्धन / विभागीय कार्य / बनास नदी परियोजना, जयपुर / परियोजनाएँ, भू-संरक्षण, वन विभाग, कोटा।

वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर / सरिस्का मु० अलवर।
उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज., जयपुर।

विषय:—आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आय-व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए संशोधित अनुमान (IFMS) विभाग द्वारा किराए पर लिए गए वाहनों की सूची (प्रपत्र-4 (ब) में अद्यतन (UPDATE) करने के संबंध में।

प्रसंग:—वित्त विभाग का बजट परिपत्र क्रमांक एफ. 4(38)वित्त-1(1)आ.व्यय / 2015
दिनांक 31.08.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक बजट परिपत्र (बैंकसाइट पर उपलब्ध) के अनुसार विभाग द्वारा किराए पर लिए गए वाहनों की सूची (प्रपत्र-4-ब में) ऑनलाइन करते हुए हॉर्ड-कापी में आपके एवं अधीनस्थ कार्यालयों की संकलित सूचनाएँ (IFMS में जिस लेखामद में दर्ज हो) तत्काल भिजवावें। अधीनस्थ कार्यालयों से सीधे इस कार्यालय को प्राप्त सूचनाएँ किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होंगी।

राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार विभाग द्वारा किराए पर लिए गए वाहनों की सूची (प्रपत्र-4-ब में) संकलित सूचना इस कार्यालय द्वारा बी.एफ.सी. में व्यक्तिशः निर्धारित अवधि में प्रस्तुत की जानी है। अतः अनुरोध है कि वॉछित सूचना (प्रपत्र-4-ब में) ऑनलाइन (IFMS) करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता के Fax No. 141-27 13758 पर दिनांक 20.09.2015 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न: उक्तानुसार

भवदीय,

(वीरेन्द्र प्रसाद),

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),
राजस्थान, जयपुर

प्रपत्र-4 (ब)

विभाग द्वारा किए पर लिए गए वाहनों की सूची

विभाग का नाम.....

कार्य-कलाप/कार्यालय वाहन

क्रम संख्या	लेखे का शीर्ष - मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ ग्रुप शीर्ष	वाहनों का विवरण			
		आयोजना मिन्ज / आयोजना / राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सम्पादन	कार्यालय का नाम	वाहन का प्रकार - जीप / कार / अन्य	कुल संख्या (लघुये सम्मिलित हैं)
1	2	3	4	5	6
					7

नोट: 1. ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए कॉलम-2 में बजट शीर्ष अंकित करना होगा, कॉलम संख्या 3 व 4 में चयन के आधार पर सूचना उपलब्ध रहेगी। शेष कॉलम में सूचना विभागों द्वारा पूर्व में

प्रविष्टि की गई सूचना के आधार पर स्वतः ही इस प्रपत्र में दर्शित होगी जिसे संबंधित विभागों के द्वारा अद्यतन किया जाना अनिवार्य है।

2. कॉलम संख्या 3 में 'आयोजना' का चयन करने पर 'राज्य आयोजना' के लिए केन्द्रीय सम्पादन से संबंधित विवरण भी निर्धारित कॉलम में सम्मिलित किया जावे। साथ ही, कॉलम 3 में 'राज्य आयोजना' के लिए केन्द्रीय सहायता का चयन करने पर इन संख्याओं को पृथक से भी दर्शाया जावे।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जोख कर ली गई है और इसे मही पाया गया है।